10 लाख कर्मचारियों, 41 लाख बुजुर्गों को तोहफा

कर्मचारियों का 2% डीए मंजूर बुजुर्गों को अब 600 रु. पेंशन

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

एक जुलाई 2018 से पेंडिंग कर्मचारियों के दो फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) को वित्त विभाग ने अंततः मंजूरी दे दी है। करीब 10 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। मार्च के वेतन से इसे लागू कर दिया जाएगा। एरियर की राशि सरकार जीपीएफ खाते में जमा करेगी। डीए बढ़ने से राज्य सरकार के खजाने पर 1098 करोड़ रुपए सालाना का भार आएगा। गौरतलब है कि पिछले छह माह से डीए पेंडिंग होने से कर्मचारियों में नाराजगी थी। इन 10 लाख कर्मचारियों में शासकीय, शिक्षक संवर्ग, पेंशनर्स, पंचायत सचिव और स्थाई कर्मचारी शामिल हैं।

शेष | पेज 11 पर

अभी 300 व 500 रु. है बुजुर्गों की पेंशन

मप्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में 41 लाख बुजुर्ग हैं। 60 से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्गों को अभी 300 रुपए तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। अब सरकार ने इसे एक समान करते हुए 600 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इससे सरकार पर सालाना 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। रिवाइज्ड पेंशन एक अप्रैल 2019 से लागू होगी।

बेरोजगारों को 4 हजार महीना देने की तैयारी

सरकार ने विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना में बेरोजगारों को प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए देने की भी कवायद शुरू कर दी है। साथ ही 100 दिन का काम भी दिया जाएगा। आचार संहिता लगने के पहले इसे मंजूरी मिल सकती है।

सुविधा • आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड के लिए नागरिकों की पहचान एवं पंजीयन प्रक्रिया निर्धारित

आयुष्मान में इलाज के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं

भास्कर संवाददाता | राजगढ़

आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके तहत जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटरों द्वारा आधार ई-केवाईसी के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के पंजीयन कर गोल्डन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित केंद्रों पर जाकर नागरिक अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। आयुष्मान गोल्डन कार्ड पंजीयन के लिए निर्धारित गाइड लाइन सरकार द्वारा बनाई गई है। योजना को संचालित करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी ने एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर लांच किया है, जिससे कोई भी यह जांच सकता है कि लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट में उसका नाम शामिल है या नहीं। नाम जांचने के लिए विभाग की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। बस अपनी पहचान स्थापित करना होगी, जिसे समग्र आईडी या आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड जैसे पहचान पत्रों से स्थापित कर सकते हैं।

कैसे करें क्लेमः सरकार के पैनल में शामिल हर अस्पताल में आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क होगा। वहां लाभार्थी अपनी पात्रता को डॉक्यूमेंट्स के जरिए वेरिफाई कर सकेगा। इलाज के लिए किसी स्पेशल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लाभार्थी को अपनी पहचान स्थापित करना होगी। पात्र लाभार्थी को इलाज के लिए अस्पताल को एक पैसा भी नहीं देना होगा।

इन बीमारियों का होगा इलाजः इसमें इलाज के कुल एक हजार 354 पैकेज हैं, जिसमें कैंसर सर्जरी और कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी, हार्ट बायपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की सर्जरी, दांतों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी और एमआईआई, सीटी स्कैन जैसे जांच शामिल हैं।

केवल 30 रुपए है निर्धारित शुल्कः पात्रता जांच एवं पंजीयन पूर्णता निःशुल्क है। केवल नॉन हॉस्पिटल वाले पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों द्वारा गोल्डन कार्ड का निर्धारित शुल्क 30 रुपए लिया जाएगा। योजना के अंतर्गत यदि परिवार पात्र है तो परिवार के सभी सदस्यों का अलग-अलग पंजीयन एवं कार्ड बनेगा।

डिजीटल सुविधा देगा सीएससी केंद्रः जिले की सभी ग्राम पंचायत, तहसील एवं शहरी क्षेत्रों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र स्थापित किए हैं। इसके माध्यम से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जाती है। आयुष्मान भारत योजना में इन केंद्रों की पंजीयन एवं गोल्डन कार्ड प्रदान करने में प्रमुख भूमिका रहेगी।